105

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 दो/विविध/रीवा/भू-रा0/2018/2241

सुरेन्द्र कुमार तिवारी एवं अन्य – 4
निवासीगंण–ग्राम सुरसा, खुर्द तहसील
रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा, म0प्र0
––– आवेदकगंण

श्री रंजनी वशिष्ट द्वारा आज दि. 6-4-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

जगजीवन प्रसाद मिश्र एवं अन्य – 5
निवासीगंण–ग्राम सुरसा, खुर्द तहसील
रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा, म0प्र0
––– अनावेदकगंण

6/4/18

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 भूल सुधार वावत्

माननीय महोदय,

~~आवेदकगण~~ अनावेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है कि –

1– यह कि, श्रीमान् न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक दो/निगरानी/रीवा/2018/भू–रा0/0613 में दिनांक 20.03.2018 को अंतिम आदेश पारित किया गया है। जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के पृष्ठ कमांक 2 के पैरा 3 में उपर से लाइन नं0 3 में सिया दुलारे के स्थान पर सिया दुरारे टंकित हो गया है।

2– यह कि, उक्त आदेश के ही के पृष्ठ कमांक 2 के पैरा 3 में उपर से लाइन नं0 7 में खसरा कमांक 340 के स्थान पर 348 टंकित हो गया है।

3– यह कि उक्त आदेश के पृष्ठ कमांक 2 के पैरा 3 में उपर से लाइन नं0 3 में संशोधन कर सिया दुरारे के स्थान पर सिया दुलारे टंकित किया जावे।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/विविध/रीवा/भू.रा/2018/02241

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआ दि के हस्ताक्षर
16–4–18	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण आज ही सुन लिया जावे। 2– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि इस न्यायालय के प्रकरण कमांक दो/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/0613 में पारित आदेश दिनांक 20.3.18 के पृष्ठ कमांक –2 के पैरा 3 में ऊपर से लाइन नं0 3 में सिया दुलारे के स्थान पर सिया दुरारे टंकित हो गया है। एवं इसी प्रकार पृष्ठ कमांक –2 के पैरा 3 में ऊपर से लाइन नं0 7 में खसरा कमांक 340 के स्थान 348 टंकित हो गया है। 3– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा पृष्ठ कमांक –2 के पैरा 3 में ऊपर से लाइन नं0 3 में सिया दुरारे के स्थान पर सिया दुलारे पढ़ जावे, एवं इसी प्रकार पृष्ठ कमांक –2 के पैरा 3 में ऊपर से लाइन नं0 7 में खसरा कमांक 348 के स्थान पर 340 पढ़ जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	